रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2016/वैशाख 20, 1938
No. 329] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2016/ VAISAKHA 20, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2016

सा.का.नि. 495(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्यों की सरकारों से परामर्श पश्चात भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1987 में और सुधार करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) संशोधन नियमावली, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(3) यह संशोधन उन सभी अधिकारियों के लिए लागू होगी जिन्हें उन चयन सूची (सूचियों) के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया है, जिन्हें माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित और प्रवीण कुमार केस संबंधी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए अनुपात के अनुसार और इस विभाग के दिनांक 17.03.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 22012/99/2009-अ.भा.से.-I में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों का चयन द्वारा नियुक्ति के लिए तैयार किया गया है अथवा तैयार किया जाएगा।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1987 में, नियम 3 में, उप-नियम (3) में खंड (iii) के लिए;

(क) "वर्ष से तत्काल पूर्व वर्ष के 31 दिसम्बर तक, डिप्टी कलैक्टर के पद अथवा किसी उच्चतर पद के समकक्ष" शब्दों, आंकड़ों एवं अक्षरों के लिए, को "वर्ष के 31 दिसम्बर तक, डिप्टी कलैक्टर के पद अथवा किसी उच्चतर पद के समकक्ष" शब्दों, आंकड़ों एवं अक्षरों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-खंडों (क) एवं (ख) के लिए, निम्नलिखित उप-खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(क) बारह वर्षों तक उसके द्वारा की गई सेवा के लिए, उसे सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए चार वर्षों के लिए एक वर्ष का महत्व (वेटेज) दिया जाएगा, जो न्यूनतम तीन वर्षों के अध्यधीन होगा;

(ख) उसके द्वारा 12 वर्षों से अधिक की गई सेवा के लिए, उप-खंड (क) में यथा-उल्लिखित तथा 21 वर्षों तक, उसे सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए तीन वर्षों के लिए एक वर्ष का महत्व दिया जाएगा;

(ग) उसके द्वारा 21 वर्षों से अधिक की गई सेवा के लिए, उप-खंड (ख) में यथा-उल्लिखित, उसे सेवा के प्रत्येक पूरे दो वर्षों के लिए एक वर्ष का महत्व दिया जाएगा, जो अधिकतम तीन वर्षों के अधीन होगा।"

[फा.सं. 14014/4/2011-अभासे-I]

टी. जैकब, अपर सचिव

टिप्पणः- प्रधान नियमों को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं.सा.का.नि. 896(अ) दिनांक 6 नवम्बर, 1987 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा और आगे संशोधन संबंधित तिथियों सहित निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं के द्वारा किया गया थाः

क्रम सं.	संख्या सा.का.नि.	दिनांक
1.	42(अ)	18/01/1988
2.	77(अ)	03/02/1989
3.	736(अ)	31/12/1997
4.	549(अ)	30/08/2005
5.	300(अ)	18/04/2012

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2016

G. S. R. 495(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Regulation of Seniority) Rules,1987, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Regulation of Seniority) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) The amendment will be applicable to all the officers who have been appointed to Indian Administrative Service on the basis of the Select List(s) which has/have been prepared or shall be prepared for the appointment by selection of the Non-State Civil Service Officers as per the ratio laid down by Hon'ble Punjab and Haryana High Court and confirmed by Hon'ble Supreme Court in the matter of Praveen Kumar's case and keeping in view the provisions contained in this Department's Office Memorandum No.22012/99/2009-AIS-I dated 17th March, 2015.

2. In the Indian Administrative Service (Regulation of Seniority) Rules, 1987, in rule 3, in sub-rule (3), in clause (iii):-

(A) for the words, figures and letters "equivalent to the post of Deputy Collector or a higher post, up to the 31st December of the year "immediately before the year", the words, figures and letters "equivalent to the post of Deputy Collector or a higher post, upto the 31st December of the year" shall be substituted;

(B) for sub-clauses (a) and (b) the following sub-clauses shall be substituted namely:-

"(a) for the service rendered by him up to twelve years, he shall be given a weightage of one year for every completed four years of service, subject to a minimum of three years;

(c) for the service rendered by him beyond twelve years, as referred to in sub-clause (a) and upto 21 years, he shall be given a weightage of one year for every completed three years;

(d) for the service rendered by him beyond 21 years, as referred to in sub-clause (b), he shall be given a weightage of one year for every completed two years of service, subject to a maximum of three years."

[F. No. 14014/4/2011-AIS-I]

T. JACOB, Additional Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 896(E), dated the 6th November, 1987 and further amended vide the following G.S.R. numbers with respective dates :

Sl. No.	GSR No.	Date
1.	42(E)	18/01/1988
2.	77(E)	03/02/1989
3.	736(E)	31/12/1997
4.	549(E)	30/08/2005
5.	300(E)	18/04/2012

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.